an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 (Discussion concluded and Bill withdrawn).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take further consideration on Central Himalayan States Development Council Bill, 2014.

Item No. 37 – Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछली बार हिमालय राज्यों के समग्र विकास की दृष्टि से पृथक मंत्रालय बनाने के लिए संकल्प लाये थे। मैं इस सदन का आभारी हूं, जिसमें लगभग 15 राज्यों के 18 सासंदगण ने उस प्रस्ताव पर अपनी भावना व्यक्त की थी और हिमालय चूंकि देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय के गठन पर अपनी सहमति दी थी।

श्रीमन् जब तक मंत्रालय गठित होता है तब तक एक अलग से हिल काउंसिल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, हिमालय राज्यों के विकास के लिए हो, इस दृष्टि से यह विधेयक इस सदन में हमने प्रस्तुत किया है। इस सभा ने यह महसूस किया है कि हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू है और इस सबको हमें शिद्दत से, पूरी गंभीरता से लेना होगा।

श्रीमन्, इसी सभा में यह भी जरूरत महसूस हुई थी कि समुचित नियोजन और रणनीति के विकास के अभाव में पूरा हिमालय क्षेत्र निराशा और असंतोष की स्थिति से गुजर रहा है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। 22 सालों के बाद भी कासिम आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। हिमालय में पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन का निश्चित ही मारक असर है। पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। वस्तुतः ऐसे मध्यमान की आवश्यकता है, जो भौतिक उन्नति और अल्पकालिक सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों को तिलांजलि देकर प्रकृति और मनुष्य हित में दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। इसका माध्यम विज्ञान, प्रोद्योगिकी के साथ-साथ अनुशासन, मानवीय समर्पण और स्थानीय संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग पर दीर्घ इच्छा शक्ति ही हो सकती है।

श्रीमन्, यह तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए अलग से नीति निर्धारण के लिए एक काउंसिल बने। यदि मैं हिमालय के बारे में मोटी-मोटी चर्चा करूं तो हिमालय ही अफवाह, हिमालय जो एशिया का वाटर टावर है, यदि इसे मोटे तरीके से देखा जाये तो स्वीडन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक श्री मालिक फालकन मारक ने जल संसाधनों पर दबाव के सांकेतिक विकास को करते समय बताया था कि प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धतता 1 हजार 700 मीटर क्यूबिक से नीचे जाती है, तो क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या होगी और अगर यह उपलब्धतता 1 हजार मीटर क्यूबिक से कम होती है, तो न केवल क्षेत्र और देश, बल्कि इसकी गंभीर समस्या पूरे विश्व में होगी। यदि मैं देखूं तो वर्ष 1951 में यह क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति वर्ष का 5177 था, जो वर्ष 2001 में 1869 और वर्ष 2005 में 1341 हो गया, जिसकी संभावना वर्ष 2050 में 1140 की स्थिति है।

श्रीमन्, यदि यह देखा जाये तो निकट भविष्य में सारे विश्व में जल पर युद्ध होने वाला है। यदि अगला विश्व युद्ध होगा, तो वह जल की स्थितियों पर होने वाला है। राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में यह सांकेतिक 200 से 800 मीटर क्यूबिक तक है और विश्व में 1.3 मिलियन जनसंख्या है, यानी विश्व की 20 प्रतिशत जनसंख्या हिमालय पर आधारित है। हिमालय की श्रृंखला में 19 से भी अधिक प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे बड़ी है। दोनों में से प्रत्येक का पर्वतों में 2 लाख 59 हजार वर्ग किलोमीटर विस्तृत जल संग्राहक बेसिन है। आप अन्य नदियों में भी देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सिंधु उसी तंत्र की हैं, जिनका 2 लाख, 17 हजार 560 वर्ग किलोमीटर है। यदि देखेंगे तो तिस्ता, रैदक और मानसूना ब्रह्मपुत्र तंत्र की 1 लाख 83 हजार 890 वर्ग किलोमीटर को आवाहित करती हैं।

गंगा में 6694, ब्रह्मपुत्र में 4366, इंडस में 5097 यानी 16617 ऐसे हिमखंड हैं जो लगातार पीछे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या देश को होने वाली है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हिमालय 8 करोड़ 60 लाख क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति करता है। इस तरह कुल मिलाकर 67 प्रतिशत हिमनद पीछे खिसक रहे हैं। उत्तराखंड में ही गंगा, यमुना, भारगीरथी बेसिन में 900 ग्लेशियर हैं। मैं समझता हूं कि 73 प्रतिशत हिमालय का क्षेत्र भारत भू पर है इसलिए हिमालय की चिंता करना बहुत जरूरी है। मैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री था तब हमने हिमनद विकास प्राधिकरण बनाया था। हमने नदियों और इनमें आने वाली जलधाराओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए स्पर्श गंगा बोर्ड भी बनाया था।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह किसी राज्य या किसी पर्वतीय हिमालय के राज्यों का विषय नहीं है, यह देश का विषय है, दुनिया का विषय है। इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि यहां शिक्षा और कौशल का विकास किया जाए। हिमालय की आवश्यतानुसार यहां पाठय़क्रम बनाए जाएं। यहां इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिकों को एक विशेष किस्म का प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह काम मानव संसाधन विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सरकार ने हिमालय अध्ययन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। मुझे भरोसा है कि यहां बागवानी, जल विद्युती यांत्रिकी, भू-गर्भ विज्ञान, पारिस्थतिकी, शिक्षा, शोध पर बहुत काम होगा और यह विश्व के मार्गदर्शन के काम आएगा।

दुनिया भर में मौसम परिवर्तन के बारे चर्चा हो रही है लेकिन इसके कारणों की तरफ कोई गौर नहीं कर रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं समझता हूं कि भारत ने यदि वचनबद्धता की है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को किसी कीमत पर बढ़ने नहीं देगा तो इसके लिए वैकल्पिक विचार भी करना होगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा गंभीर चुनौती है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन में असंदिग्धता है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जलवायु परिवर्तन का दुप्रभाव करने के लिए आपदा प्रबंधन, कृषकों को बीमा सहायता, कृषि भूमि का उपयोग, प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना होगा। जल उपयोग और मापन, जल उपयोग प्रबंधन की नीति में सुधार की जरूरत है। यह तभी संभव हो सकता है जब हिमालय के लिए अलग से काउंसिल बनाने की अनुमति दी जाएगी।

आज दुनिया का हर आदमी अंदर से खोखला हो गया है। आदमी के अंदर की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित उत्पादों की जरूरत है। एक अध्ययन के तहत इस बैल्ट में 6240 अरब रुपए की मार्किट है। यह मार्किट केवल प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न आर्गेनिक फूड की है। वर्ष 2010 से 2015 तक आर्गेनिक कृषि का 22.3 प्रतिशत का माप बढ़ा है। पुष्प उत्पादन वर्ष 2015 तक 30 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, इसकी मार्किट 8000 करोड़ रुपए की है। यदि हिमालय की इस बैल्ट का ठीक से नियोजन हो, व्यवस्थित दोहन हो और प्रकृति के संरक्षण में काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों का 6.2 बिलियन डॉलर अर्थात् 360 अरब रुपए का व्यवसाय हो सकता है। भारत में आयुष उत्पादन बढ़ सकता है और वर्तमान में यह उत्पादन 900 करोड़ रुपए का है। भारतीय वनों से कुल राजस्व की प्राप्ति 65 बिलियन डॉलर है यानी 390 अरब रुपए है। 65 प्रतिशत वन क्षेत्र सिर्फ हिमालय में है जो देश का 24 प्रतिशत है। हिमालय के आठ राज्य हैं, इनमें और क्षेत्र भी हैं लेकिन 65 से 70 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

16.00 hrs.

इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिमालय का जो 70 प्रतिशत क्षेत्र है, वह कृषि पर आधारित है और हिमालय के क्षेत्र में जो कृषि है, इसे कुछ विशेष रूप में किया जाए कि कम उत्पादन, न्यूनतम लागत, अपर्याप्त सिंचाई, पारंपरिक खेती, अलाभकारी अनाज आधारित छोटे-बड़े खेत, ये बागवानी की दिशा में भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पुष्पों का उत्पादन होता है, जो छः महीने तक नहीं मुर्झाते हैं। ऐसे पुष्पों का उत्पादन हो सकता है, जिसमें सुगंध है। बेमौसम की सब्जियों का वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है। इसलिए इनसे संबंधित कोई नीति बने। यह भी तभी संभव है, जब अलग से नीति हो। इसका एक उदाहरण है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में सब्जी ग्रामों की स्थापना की। आज उनकी स्थिति यह है कि 25 से 50 लाख रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है और यह एक मॉडल है। इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए इस दिशा में बढ़ता, इसका एक नीति निर्धारक होता, तो इससे पूरे न केवल हिमालयी राज्यों का भला होगा, बल्कि देश-दुनिया का भला होगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी यदि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखण्ड की धरती को देखा जाए, तो ये धरती के स्वर्ग हैं। तमाम स्विट्जरलैंड हमारी इस धरती में समाये हुए हैं। लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से कभी नहीं उपयोग हो सका। पर्यटन देश के 3.9 करोड़ नौकरियों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्जन करता है। यदि पर्यटन को ही व्यवस्थित किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए, तो करोड़ों नौजवानों को नौकरी भी दी जा सकती है और इससे अर्थ भी पैदा किया जा सकता है। भारतीय जी.डी.पी. का 6.6 प्रतिशत आज भी केवल पर्यटन से आता है। मेडिकल टूरिज्म से दो हजार करोड़ डॉलर यानी 12 हजार हजार करोड़ रुपए केवल मेडिकल टूरिज्म से आता है, यदि इसे बढ़ाया जाए तो कितना गुणा बढ़ सकता है। अभी लगभग 70 लाख विदेशी लोग भारत में इस प्रकार के आते हैं। विश्व पर्यटन उद्योग में हमारी प्राप्ति 1.59 प्रतिशत है, जो विश्व में 42वें स्थान पर आता है, जिसे विश्व में पहले स्थान पर होना चाहिए। मैं उत्तराखण्ड से संबंध रखता हूँ। उत्तराखण्ड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। वहाँ पूरी प्रकृति ने बेसुमार सौन्दर्य बिखेरा है। आदमी जिधर देखता है, उसका मन उधर ही मोहित हो जाता है। मैंने कहा कि पूरी घाटी को देख लिया जाए। हम आज 42वें स्थान पर हैं, केवल और केवल हिमालय संबंधी ठीक नीति न बनने के कारण आज हम 42वें स्थान पर हैं। ऐसे ही स्थिति उद्योग-धंधों के विकास और संवर्धन में है। जब हमारे पास जीवनदायिनी जड़ी-बूटियाँ हैं, संजीवनी है, तो हम क्यों भटक रहे हैं। चीन से हम अरबों-खरबों रुपए की दवाइयाँ देश में ला रहे हैं। हम दोहरी मार खा रहे हैं। यहाँ से हमारे नौजवान, महिलाएं और गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा है। उन्हें जड़ी-बूटियों के आधार पर उनको वहाँ रोकना चाहिए था। ऐसी दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ आज भी हमारे पास हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तभी संभव है, ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, संभावनाएँ असीम हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की है और वह परिवर्तन यह है कि उसका नियोजन कैसे किया जाए, नीतियाँ कैसी बनायी जाए, इस पर विचार करने की ज्यादा जरूरत है।

16.04 hrs.

(Shri Hukum Singh *in the Chair*)

श्रीमन्, आपदा प्रबंधन के संबंध में, यदि केदारनाथ की आपदा को देखा जाए, तो 24-25 हजार से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। देश के 24 राज्यों के और दुनिया के तमाम देशों के लोग हताहत हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि चाहे वह उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा हो या जम्मू-कश्मीर की आपदा हो, इसमें हजारों लोग हताहत होते हैं। नीति के अभाव में यह सब कुछ हो रहा है। जल संवर्धन की ठीक नीति न होना और डॉप्लर रडार जैसे यंत्र इस क्षेत्र में न मिलना जैसे कुछ कारण हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम आपदा का प्रबंधन करें। बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, भूकम्प, भूसंरक्षण और 90 प्रतिशत आग मानव-निर्मित कारणों से लगते हैं। उसमें मैं भी लोगों को जागरुक कर सकते हैं। हिमनदों का गंगोत्री में 17.5 मीटर, मीलम 13.3 मीटर प्रति वर्ष, पिंडर 13.5 मीटर प्रति वर्ष, डोकरियानी 17.0 तथा वार्सिगी 43.3 प्रतिशत भाग है। यदि देखा जाए तो ग्लेशियर जिस गति से पीछे जा रहे हैं, यह केवल हिमालय बेल्ट के लोगों के लिए चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी देश-दुनिया के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

जिस दिन हिमालय अंगड़ाई लेगा, पूरा विश्व संकट में खड़ा होगा। इसलिए डॉप्लर रडार हों और आपदा प्रबंधन की नीति अलग से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए। आपदा प्रबंधन फोर्स को हर स्थान पर भेजा जाए। कई देशों की सीमाओं से लगे हुए ये जो क्षेत्र हैं, ये देश की सामरिक एकता एवं अखण्डता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे जल मार्ग हो या रज्जु मार्ग हो, सामरिक मार्गों के निर्माण और रखरखाव पर कभी चिन्ता नहीं रही है। सम्पूर्ण देश में मात्र तीन जलमार्गों में से एक हिमालयी अपवाह में 891 किलोमीटर जलमार्ग है। हिमालय क्षेत्र में 891 किलोमीटर का जलमार्ग सिर्फ धुबरी और ब्रह्मपुत्र में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में रोप-वे विकसित करने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा कि जब आदरणीय श्री नितिन गडकरी जब उत्तराखण्ड के प्रवास पर आए थे, उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों को खोदने और बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ने की बजाय, वहां रज्जु मार्गों का निर्माण हो। उससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और आवागमन भी ठीक होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता एवं वन्य जीवन का संरक्षण जलमार्गों एवं रोप-वे विकसित करने से निश्चित रूप में हो सकता है। इससे वन्य जन्तुओं का संरक्षण होगा, लोगों की आर्थिकी भी सुधरेगी, समय भी कम लगेगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। यदि जैव विविधता को देखें, तो चौंकाने वाली स्थिति है। पूरे विश्व में जैव विविधता की दिशा में हिमालय सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पूरे विश्व में जो भूभाग है - दो करोड़ 38 लाख सात हजार पांच सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर के इस पूरे भूभाग में चार ही स्थान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें हिमालय नम्बर-एक पर है। लेकिन आज तक भारत सरकार ने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं कि आखिर सारे विश्व में हमारे पास एक बहुत बड़ी सम्पदा जैव विविधता के रूप में है, हम इसका उपयोग कैसे करें। चूंकि कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, गंभीरता से कभी विचार नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह हिमालय के प्रति समर्पित है। उन्हें अब गंगा पुत्र के नाम से जाना जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब हिमालय का व्यवस्थित और अच्छे तरीके से विकास होगा। जैव विविधता के लिए भी सम्पूर्ण विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालय के संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। विश्व के यदि 130 करोड़ लोग केवल इस पर निर्भर हैं तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में वहां 7000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 175 स्तनधारी एवं 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे बड़ी जैव विविधता दुनिया में कहीं हो नहीं सकती है।

इसलिए मेरी जो चिंता है, जिस चिंता को लेकर मैं एक संकल्प लाया था कि अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जब तक उस मंत्रालय का गठन होता है, तब तक निश्चित रूप से एक काउंसिल होनी चाहिए जो नीति बनाए और नीति का नियोजन करे। यदि वन क्षेत्र देखें - हिमाचल प्रदेश में 14683 वर्ग किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर में 22538 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखण्ड में 24508 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में 65 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। इसका भी व्यवस्थित उपयोग नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत को पर्यावरण से होने वाला नुकसान आठ अरब डॉलर है जो जीडीपी का 5.7 प्रतिशत है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वनों और पैड़ों का फैलाव वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड का अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन का काम करेगा, धरती की ऊष्णता को कम करेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एयर कंडीशन्ड बंगलों में बड़े-बड़े सेमिनार हो रहे हैं और उनका रिजल्ट जीरो होता है। इसकी चिंता इसी धरती पर खड़े होकर की जा सकती है। अपशिष्ट के बारे में मेरा कहना है कि हिमालय क्षेत्र का अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती भरा काम है। अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने के नए प्रावधान लाने होंगे। कूड़ा-करकट को अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया हमें उस स्थान पर भी अपनानी होगी क्योंकि हिमालय को प्रदूषण और इस तरह के अपशिष्ट से हर कीमत पर मुक्त करना होगा।

श्रीमन्, आज सवेरे स्वास्थ्य मंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चीन से दवाइयां आती हैं वे करीब 700 करोड़ रुपये की होती हैं और जो जड़ी-बूटियां आती हैं उनको भी जोड़ा जाए तो अरबों रुपया हम चीन को दे रहे हैं। हमें चीन को दवाइयां देनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। उसका कारण यह है कि इस देश में इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया है। हमारी जड़ी-बूटियों को चीन पेटेंट करा रहा है, हमारी चीजों को जर्मनी पेटेंट करा रहा है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। यह एक चिंता का विषय है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार बहु-आयामी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस दिशा में विचार करने की जरुरत है और यह आज देश की आवश्यकता भी है। केवल इतना न देखा जाए कि यह हिमालय राज्यों की जरुरत है बल्कि यह पूरे देश और दुनिया की जरुरत है। आयुर्वेद ने तो पूरी दुनिया का तन ठीक किया है, हमारे पास संजीवनी बूटियां हैं। आज 25 साल नौजवान अपने हृदय को पकड़े बैठा है, वहीं 16 साल का युवा तमाम बीमारियों का शिकार हो गया है, मधुमेह जैसी बीमारी उसे लग गयी है। जब हमारे पास पूरी दुनिया को ठीक करने का तंत्र है तो आखिर क्यों न उसे विकसित किया जाए, क्यों न ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए उन जड़ी-बूटियों का उत्पादन भी हो, उनका दोहन भी हो।

श्रीमन्, अकेला आयुर्वेद चाहे टाइफाइड है, कैंसर है, अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, बुखार है, खांसी है, मधुमेह है, डिप्रेशन है, मलेरिया है और लीवर की दवाई लिव-52 तो पूरी दुनिया में हर डॉक्टर लिखता है। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तो देहरादून में लिव-52 बनाने वाली कंपनी प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्कम-टैक्स देती थी। इस अकेली दवा ने विश्व में अपना मुकाम स्थापित किया है। भारत में 45 हजार से ज्यादा जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं लेकिन उनका व्यवस्थित रूप से दोहन करने की जरुरत है।

भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता एक लाख मेगावाट से भी अधिक है, जबकि उत्पादन केवल 39,788.40 मेगावाट ही हो रहा है। मुख्यतः सतलुज जल विद्युत परियोजना, टीएचटीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी आदि परियोजनाएं हिमालय क्षेत्र की हैं। दुनिया में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए भारत विश्व में 5वें स्थान पर है लेकिन विश्व के मात्र 35 प्रतिशत जल विद्युत का उत्पादन कर पा रहा है। अभी भारत 35वें स्थान पर है लेकिन वह 5वें स्थान पर आ सकता है अगर इस हिमालयन बैल्ट को सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित किया जाए और उसकी नीति बनाई जाए तथा उसका नियोजन ठीक तरह से किया जाए।

अभी हिमाचल के बिलासपुर में जो गोविंद सागर डैम है और भाखड़ा परियोजना है उसने हरित क्रांति की है। इसलिए अकेले उत्तराखंड में जल विद्युत संभावना 25,000 मेगावाट से अधिक है जबकि हिमाचल की 23,000, जम्मू-कश्मीर की 25,000 मेगावाट से अधिक है और अगर इन तीनों राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 80,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता इन तीनों राज्यों में है। फिर ऐसी स्थिति में सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों न एक कौंसिल बनाकर, इसकी नीति बनाकर, देश के विकास में इसे लगाया जाए।

मैं उत्तराखंड से आता हूं और यह स्थान वेद, पुराण, उपनिषदों का जन्मदाता है। वह संस्कृत का भी जन्मदाता है, आयुर्वेद का भी जन्मदाता है। गंगा भी उसी धरती पर उतरकर सारे विश्व के कल्याण के लिए आती है और गंगा का कितना महत्व है यह सभी जानते हैं। डा. साहब अभी यहां नहीं हैं, जब मैंने गंगा की चर्चा की तो उन्होंने कुछ आपत्ति की थी। मैंने कहा था कि गंगा का जल अमृत जल है और गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। आप उस परिप्रेक्ष्य में गंगा को देखें। मुझे आपके आशीर्वाद से वर्ष 2010 में कुम्भ का आयोजन करने का मौका मिला था। यह मेरा सौभाग्य था। मैं उस समय मुख्यमंत्री था। डेढ़ सौ से भी अधिक देशों से साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा का स्पर्श किया। इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां से भी सर्वाधिक लोग आए। उनके राजदूत भी आए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हमारी सम्पत्ति है। स्वच्छता के रूप में उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और गंगा का एक बूंद पानी भी हजारों व्याधियों से लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग बच्चा पैदा होने के समय एक बूंद गंगा जल डालते थे और जब भी वह इस संसार से विदा होता था, चाहे राजा हो या महाराजा हो, तो भी एक बूंद गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है। यह आज से नहीं, हजारो-लाखों वर्षों से परम्परा रही है।

महोदय, यह शांति और आध्यात्म का विश्व का केन्द्र है। यह देश की संस्कृति का प्राण है। हिमालय में बौद्ध धर्म के मठ हैं। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री यहां हैं। उधर की तरफ हेमकुंड साहिब और इधर पीरान कलियर है। श्रीनगर में स्थित हजरतबल भी हिमालय के राज्यों में ही है। अलकनंदा और भागीरथी जैसी तमाम पवित्र नदियां यहां हैं। पीरान कलियर का मैंने जिक्र किया है। 6338 मीटर पर कैलाश पर्वत स्थिति है। यहां बौद्धों का सबसे बड़ा स्थान है। केदारनाथ में 12 ज्योर्तिलिंग भी इसी स्थान पर हैं। लाहोल स्पीति जिला स्थित गोंपा 13 हजार 668 फीट पर स्थित है, जो इसी क्षेत्र में है। लद्दाख स्थित हैमीस और थिप्से बौद्धों के प्रमुख मठ भी हैं। हमारे हिमाचल के मित्र ने भी पिछली बार इसकी बहुत चिंता की थी।

महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि हिमालय का एक अलग से मंत्रालय हो। जब तक मंत्रालय नहीं बनता है, तब तक काउंसिल बने, ताकि वहां के लिए नीतियां बनें और उन नीतियों का कार्यान्वयन हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदय, मैं सबसे पहले पोखरियाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

महोदय, यहां हिमालय क्षेत्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक पहलुओं को तथ्यों के रखा गया है। यह केवल हमारे लिए प्रांतों के लिए ही नहीं पूरे देश और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह भविष्य की ऊर्जा के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, खाद्य सुरक्षा हमारे हिमालय के भविष्य पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि इन सब पर हिमालय को बहुत अनदेखा किया गया है। आज समय है कि हम आज की चुनौतियों को देखते हुए, किस तरह से उन सब का मुकाबला करना है, उसके लिए इस विधेयक में मांग रखी गयी है कि उसके लिए एक सैन्ट्रल काउंसिल या मंत्रालय बने। इस विषय में उपयुक्त लोग मंत्री बनने के लिए तो हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं है। मैं समझता हूं कि एक मंत्रालय होने से कोऑर्डिनेटिव मूव के द्वारा सभी चुनौतियों को इंटीग्रेटिड तरीके से देखा जा सकता है।

इस विधेयक में सैन्ट्रल हिमालय स्टेट के बारे में कहा गया है, लेकिन शिवालिक से लेकर उत्तर पूर्व तक और भाषण देते समय भी पूर्वोत्तर भारत की भी बात की गयी और मैं हिमालय की गोद में उत्तर बंगाल के हिस्से से आता हूं। हिमालयन क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रांत हैं और कई जगह तो अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए तो अलग राज्य बनाने की जरूरत नहीं है। आज यह समझा जा रहा है कि हम छोटे-छोटे राज्य बना कर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर हम समस्याओं को इंटीग्रेटेड होल की तरह नहीं देखेंगे तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जम्मू-कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक की सारी भौगोलिक और सब तरह की स्थिति को देखे। इसलिए हमें उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। हम विकास करना चाहते हैं और हम अकसर प्लेन एरिया में भी देखते हैं और हिमालय क्षेत्र के प्रांतों में भी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में जो देखकर आए हैं, उसको वहां कॉपी कर दें। लेकिन उस विकास का दृष्टिकोण क्या होगा? हमें भौगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। जो हमारा वहां का फ्लोरा एंड फॉना है, हमारे जो पशु-पक्षी, कीड़े-मकौड़े हैं, जो वहां की क्रॉप वैरायटीज हैं, उनको भी संरक्षण की जरुरत है। जो वहां अलग अलग जातियां रहती हैं, वे भी एक लिविंग म्यूजियम की तरह है। हिमालय के एकदम पश्चिम से लेकर पूर्व हिमालय तक अगर आप जाएंगे तो ये सारी विविधताएं हैं। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। अभी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का हवाला देकर कोई यह कहे कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान तोड़कर सड़क बनाने से अच्छा है कि रज्जो मार्ग बनाया जाए। मैं जानता हूं कि आज की चुनौती के लिए हमें आधुनिक यातायात के साधन जुटाने की जरूरत है और हम फिर से उसी पुराने तौर तरीकों पर वापस नहीं जा सकते। लेकिन हमें जहां पर

पारम्परिक रूप से जो यातायात के साधनों की जरूरत है और यही हमारी विशडम है, तो हमें वहां पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए।

जब ऊर्जा का सवाल आता है, मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े डैम्स और हाईड्रल पॉवर प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वे हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए ठीक हैं। हमारे मुख्य मंत्री भी हैं और वहां के सांसद भी हैं और वे जानते हैं कि जिस तरह से वहां प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वहां बिजली की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, डैम्स की भी जरूरत है और बहुत से साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं। लेकिन हमें नये शोध की भी जरूरत है, इसलिए हमें और ज्यादा काउंसिल की भी जरूरत है कि किस तरह से हम इस सुविधा को रद्द करके वहां के संसाधनों का विकास करें और प्रकृति की देन का इस्तेमाल करें।

इसके लिए वहां छोटे डैम्स की जरूरत थी। वहां पर हाईड्रल प्रोजेक्ट्स छोटे और हर स्तर पर बनाये जा सकते हैं। हो सकता है कि इकोनॉमिक स्केल में बहुत ज्यादा नहीं हैं, इसलिए यह कोई आलोचना की बात नहीं है। हमें एक डर है कि जिस तरह से स्किल के साथ साथ स्केल को अप करने की बात हर जगह की जा रही है, हम सब जगह स्केल की बात नहीं कर सकते। जो हमारे हिमालय में स्थित राज्य हैं, हम समानता के साथ उस स्केल में नहीं ले जा सकते लेकिन हमें विकास को उस स्केल में ले जाना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के जो लोग हैं, वे सबसे मेहनती लोग हैं लेकिन आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे ज्यादा पिछड़े हुए भी लोग हैं। वहां पर शैक्षणिक संस्थानों की भी कमी है तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जो स्तर वहां होना चाहिए, वह न होने के कारण परेशान भी हैं। मानव विकास के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं चाहे वह शिक्षा से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, वह हमें वहां देनी चाहिए जिससे हम मानव शक्ति को निखार सकें। मैं समझता हूं कि बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है, अलग सा प्रांत न होने से हिमालय का क्षेत्र उसमें शामिल होना चाहिए। इस विधेयक को ऐसा किया जाए कि सेन्ट्रल हिमालय न कहकर पूरे हिमालय रीजन के लिए काउंसिल बनाया जाए तो वह बेहतर होगा। कुछ लोग उत्तर बंगाल में या दार्जिलिंग के बारे में अलग से प्रांत बनाने की भी मांग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका कारण भी पिछड़ापन ही है। काउंसिल बनाकर एज ए होल इंटीग्रेटेड पर्सपैक्टिव में अगर हम देखते हैं, विकास करते हैं तो हम देखते हैं कि झूठे वादे बहुत किये जाते हैं। हमारे वहां जो बंगाल में सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम दार्जिलिंग को, उत्तर बंगाल को स्विटजरलैंड बना देंगे। ऐसे तो अलग से स्विटजरलैंड बन नहीं सकता। वह तो कोई म्यूजियम पीस नहीं है कि अलग से खरीदकर लाकर पेस्ट कर दिया जाए।

इसलिए मैं समझता हूं कि वहां के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि जो आज के उद्योग हैं, उन उद्योगों को हम वहां किस तरह से ले जाएं। चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य में हों, चाहे वे हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हों, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी हिस्से में हों, चाहे जम्मू-कश्मीर में हो, ऐसा करने के लिए हमें वहां की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की जो दुविधाएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, वहां के लोगों की दक्षता को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र के रूप में भारत सरकार को काम करना चाहिए। हिमालयन स्टेट्स की तरह वहां भी कई तरह की स्टेट्स हैं, जैसे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, लेकिन नार्थ बंगाल का हिस्सा चाहे वह दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो या कूच बिहार हो, वह उसमें नहीं आता हैं, चूंकि वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इन्हें हम इनडायरेक्टली धकेलते हैं कि अलग प्रांत बनाओगे तो तुम्हारा हो जायेगा। जो चीज सिक्किम में उपलब्ध है, वह दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी उपलब्ध होनी चाहिए, जो आसाम में उपलब्ध है, वह उत्तरी दिनाजपुर में भी उपलब्ध होनी चाहिए, उत्तर बंगाल के पूरे हिस्से को उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए नार्थ बंगाल को भी हिमालयन या सब-हिमालयन टैरेन की तरह, रीजन की तरह उसमें काउंट किया जाए। उससे यह होगा कि औद्योगिक विकास वहां तक पहुंच सकता है।

दूसरी समस्या वहां यातायात की है। आज अगर आप हिमालय को देखें तो उसे देखकर हम गर्वित होते हैं, वह हमारा माथे का मुकुट है। लेकिन आप चाहे सिक्किम प्रांत में जाएं, चाहे अरुणाचल प्रांत में जाएं, चाहे उत्तराखंड में जाएं या जम्मू-कश्मीर में जाएं, यदि एक तरफ हम शेष भारत के हिस्से देखेंगे और दूसरी तरफ चीन और तिब्बत का हिस्सा देखेंगे तो हम देखेंगे कि विकास का अंतर कितना है। भारत और चीन की जब शुरुआत हुई थी, 1947 और 1939 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि हम बहुत आगे बढ़े हुए थे। लेकिन आज विकास में चाइना के लेटेस्ट डैवलपमैन्ट को देखिये तो वह अपने हिंटरलैंड्स में डैवलपमैन्ट को धकेल रहे हैं। कोस्टल एरियाज से वह हिंटरलैंड्स में ज्यादा भेज रहे हैं और उससे उसके सड़क यातायात, रेल यातायात और वायुमार्ग के जो साधन हैं, वे बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी तरफ सिर्फ डिफैंस की नजर से नहीं देख रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप विकास की दृष्टि से देखेंगे तो अरूणाचल प्रदेश की तवांग वैली के उस पार यदि हम देखते हैं तो वहां सड़क पहुंच गई और हम आज की आधुनिक सड़क को वहां नहीं ले जा पाये तो वह हमारे ऊपर लानत है। अगर तिब्बत मे रेल पहुंच सकती है और हम इस क्षेत्र के लोगों को अभी तक रेल के सफर के साथ नहीं जोड़ पाये हैं, जबकि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्टेशन घूम, दार्जिलिंग में था। हमारे पास वह तकनीक है, हम मंगल ग्रह पर यान भेज सकते हैं, लेकिन हम हिमालय प्रांत के लोगों को यातायात के साधन नहीं दे सकते, यह नहीं हो सकता। इसलिए इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसके लिए मैंने खुद कहा कि एक अलग एक जिला, एक अलग प्रांत की वह मांग कर सकता है, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो सकती। अगर हम पूरे देश के पैमाने पर उसे नहीं देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं देखते हैं।

तीसरी बात कृषि की है। कृषि की एक बहुत बड़ी उपज हमारे क्षेत्र से आती हैं, वह सबसे फर्टाइल लैंड है, चूंकि वहां पानी है, पूरे देश के लिए वहां पानी उपलब्ध है। मैं पर्यावरण की दृष्टि से उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, चूंकि वह विस्तार से कहा गया है। लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, जिस तरह से हमारी नदियां पॉल्युटेड हो रही हैं, जिस तरह से हमने आधुनिक तौर-तरीके अपनाए हैं, लेकिन हम उन्हें सही ढंग पूरी तरह नहीं लेने के कारण जो हमारे जंगल हैं, जमीन हैं, जो हमारे जल संसाधन हैं, उन्हें हम नष्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कृषि में हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे हजारों, सैंकड़ों बीज हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। जो वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमें धरोहर के रूप में मिले, हम पूरे विश्व को वे दे सकते हैं।

इसी तरह से जो हमारी वनों की उपज है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करे, उसका दोहन करें। लेकिन उससे वनांचल नष्ट नहीं होना चाहिए। आप देखिये कि अब हरियाली कम होती जा रही है। जब मैं शिमला जाता हूं, मैं साल में एक बार अपनी आक्सीजन और बैटरी को रीचार्ज करने के लिए शिमला जाने की जरूरत महसूस करता हूं। लेकिन देखते हैं कि क्या हम उसे भी दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उसे पुरानी दिल्ली का सीलमपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। केवल शिमला, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रांत नहीं है, दार्जिलिंग में भी यहीं देखने को मिलता है, जम्मू-कश्मीर में भी यहीं सब देखने को मिलता है। माडर्नाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि हमें कंक्रीट लानी पड़ेगी, हमें सीमेंट लाना पड़ेगा, हमें आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह सब गलत है। हमें वहां के पर्यावरण, वहां की भौगोलिक परिस्थिति और इकोलोजिकल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए विकास करना पड़ेगा।

हमने पूरे विश्व को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन से सिखाया है कि किस तरह से नेचर के साथ, पशु-पक्षी के साथ ईक्वलिब्रियम हमें मैंटेन करना चाहिए। हम उस नाते को तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन वह नाता टूट रहा है। मैं समझता हूँ कि जब अलग से यह काउंसिल बनेगी, तब उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। पूरे विश्व में लोग घूम रहे हैं, आधुनिक होने के बाद, अत्याधुनिक होने के बाद वे कुदरत की गोद में जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए हिमालयन रीजन एक बहुत बड़ी जगह है, जो वे पेश कर सकते हैं। पूरे विश्व की सबसे अच्छी चाय हिमालय की गोद में है, दार्जिलिंग में है, जलपाईगुड़ी में है। आज वहां चाय बागान के मज़दूर खुदखुशी करने पर मज़बूर हो रहे हैं, राज्य सरकार उस तरफ देख नहीं रही है। मैं जानता हूँ पिछले सत्र में भी सवाल के जवाब में कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल कर करना चाहिए। चाय बगीचा का दोहन हुआ है। हम विदेशी मुद्रा कमाएं, लेकिन वे वहां पर प्लॉबैक नहीं कर पाए। हम दार्जिलिंग टी दूसरी किसी जगह पर बना नहीं पाएंगे। अगर हम आसाम में देखें तो दार्जिलिंग छोड़ दीजिए, जो सीटीसी चाय है, रूपये किलो चाय की जो ग्रीन पत्ती है, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, वे आज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जब कि यह कोशिश होनी चाहिए थी कि उत्तरखण्ड तक किस तरह से चाय बागान को विकसित किया जाए। कुछ एक्सपैरिमेट हुए भी, लेकिन वे ज्यादा

सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अभी कुछ हो रहे हैं। किस तरह से हम लोगों को रोज़गार के साधन जुटाने के लिए क्रॉप डायवर्सिफाइ कर सकें। वहां के जो मौसम है, उसके हिसाब से यह करें। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से जड़ी-बूटी की बात कही। जो हर्ब्स की बात कही, जो मैडिसिनल प्लांट्स की बात कही, तो यह जैसे लोगों के रहन-सहन के बारे में हो रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, उस तरह से बीमारियां भी बदल रही हैं। उससे हमें फिर से हमारे जो मैडिसिनल प्लांट्स हैं, हमारे जो हर्ब्स हैं, हमारी जो जड़ी-बूटियां हैं, उसको किस तरह से वहां पर हम और ज्यादा आज की साइंटिफिक स्टैण्डर्डाइज़ेशन के तहत मॉडर्नाइज़ेशन भी करें ओर उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, मैडिसिनल प्लांट्स के साथ-साथ किस तरह हम वहां पर फार्मासूटिकल्स कंपनीज़ बनाएं। अभी-भी ज्यादातर मैडिसिंस हम जो लेते हैं, वे कृत्रिम स्त्रोत से लेते हैं, कैमिकल्स से ले रहे हैं। उसे हम किस तरह से नैचुरल रिसोर्सेज़ से ले सकें और उसके लिए हिमालय बहुत बड़ा फील्ड है, खेत है, जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ज्यादातर बात रमेश जी बोल चुके हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसे सैंट्रल हिमालयन तक सीमित न रख कर के आप पूरे हिमालय को गोद में लें और पश्चिम से ले कर पूर्वोत्तर तक, ईस्टर्न हिमालय से लेकर वैस्टर्न तक, शिवालिक से ले कर आराकांट तक आप इसको शामिल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि मांग भी बहुत ज्यादा मज़बूत हो जाएगी और सरकार भी यह कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री ने जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील, मानवीय जीवन से जुड़ा जो इन मुद्दों को इनके द्वारा लाया गया है, उनके समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, शायद उस वक्त उत्तराखण्ड में इन्हीं की सरकार थी, जब भूख हड़ताल से एक बाबा की मौत हो गई थी। ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): किसकी मौत हुई थी। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : एक बाबा की मौत हुई थी, ..* एक ऐसे बाबा की मौत हुई थी, जो माफिया के खिलाफ प्रकृति को नष्ट करने वाले माफिया ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, वह नाम आपको नहीं लेना चाहिए।

यह नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

राजीव प्रताप रूडी : सर, इस नाम को रिकार्ड से बाहर कर दिया जाए।

माननीय सभापति : रूडी जी, नाम रिकार्ड से बाहर निकालने के लिए आदेश दे दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर कहीं गलत रूप से मिसइन्टर्प्रिएट न हो जाये।

श्री राजेश रंजन : अच्छी बात है।

माननीय सभापति : उसे कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : गलत रूप से अगर मिसइन्टर्प्रिएट हो गया तो वह ठीक नहीं है।

श्री राजेश रंजन : आपकी प्रतिबद्धता जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपने जो बातें कही हैं, यह देश या एक सौ बीस करोड़ लोग इससे अलग नहीं हैं। प्रकृति और परमात्मा, गॉड गाइड बाई नेचर ऑर नेचर गाइड बाई गॉड, प्रकृति और परमात्मा दोनों एक दूसरे के प्रदत्त हैं। जो हमारी शक्ति और जीवन पद्धति है, कंप्लीट साध्य और साधना, जो हमारी जीवन पद्धति है, वह हिमालय, पहाड़ों और प्रकृति से जुड़ी हुई है। सवाल उठता है कि हिमालय में रहने वाले अधिकतर मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। उत्तराखंड में आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडूरी साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे मित्र चले गए, उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री रहे। आज राजनीति की बहस नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि इस नियम को आप कैसे बनाना चाहते हैं? एक व्यक्ति एक महीने से अधिक समय तक भूख-हड़ताल पर रहकर पहाड़ों के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। वहाँ से ठीक पांच किलोमीटर की दूरी पर एक और व्यक्ति के द्वारा भूख हड़ताल होती है, उनके लिए पूरा देश और पूरी सरकार लग जाती है। पहाड़ों की सुरक्षा और संरचना पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त करता है तो उसके लिए किसी को इस देश में चिन्ता नहीं होती है। मैं गंभीरता के साथ प्रश्न कर रहा हूँ कि इस गंभीर विषय पर आप कितने गंभीर है और सदन कितना गंभीर है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसीलिए मैंने इन बातों को आपने सामने रखा है।

सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी वे खड़े हैं, जब वे बैठ जाएंगे तब आप बोल लीजिएगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं नियम का पालन करता हूँ।

श्री राजेश रंजन : आप बाद में बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया सब जानती है कि सदाशिव जो हमारे सबसे पहले आराध्य गुरू हैं, तब से लेकर आज तक, उनसे पहले भी ऋषि मुनि के काल से लेकर, आदम काल से लेकर, आदि काल से लेकर आज तक महापुरूषों और ऋषि मुनियों के बारे में और जीवन पद्धति के बारे में बात कही जाती है। आपने आयुर्वेद की बात कही है। आपने अध्यात्म और संस्कृति की बात कही है, आपने तहजीब की बात की है, आपने जीवन, जल, जंगल और जमीन की बात कही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने जिस वक्त पहाड़ों में जो शब्द कहे हैं, उनको मैं उद्धृत नहीं करना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कई देशों से हमारी विदेश नीति के साथ व्यापार को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाये? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति और जीवन को नष्ट करके किसी भी उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देना और संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता को सिर्फ अर्थ के लिए, धन के लिए सम्पूर्ण मानवीय जीवन की संवेदना को समाप्त करते हुए सारे पूँजीपतियों का आगमन और हमारी नीति ही पूँजीपतियों के भौतिक सुख के लिए बनती है। हम जानना चाहते हैं कि आज तक, चाहे उत्तराखंड का सवाल हो या हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस देश में जो भूकम्प आया। जो इस देश में दो त्रासदियाँ हुईं, एक सिक्किम की त्रासदी और दूसरी उत्तराखंड की त्रासदी, ये दोनों त्रासदियाँ क्या मानव निर्मित हैं या वे प्रकृति निर्मित हैं। मानव निर्मित त्रासदी के कारण ही ये दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। इसके कारण भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार की नीति ने कभी भी हिमालय और पहाड़ों में रहने वाले मानवीय जीवन की संवेदना को महसूस नहीं किया, जिसके कारण इस तरह की त्रासदी उत्पन्न होती है। हम जानना चाहते हैं, मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति जी, सदन में राजेश रंजन जी बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि ये इतना अच्छा बोल रहे हैं और पूरा देश इनकी बात को सुन रहा है। ऐसा ही अच्छा ये हमेशा बोलते रहें, हमारा इनसे यही आग्रह रहेगा।

श्री राजेश रंजन : कहाँ से कहाँ बात को ले गए! राजीव जी हमारे भाई हैं। बहुत भाई उधर बैठे हैं और बहुत सम्मान करते हैं, सब मेरे मित्र हैं। बचपन से हम, राजीव जी, राम कृपाल

बाबू एक साथ एम.एल.ए. रहे, एम.एल.सी. रहे, एम.पी. रहे। हम लोग साथ हैं और हममें बहुत प्यार है, इसमें कहीं दो मत नहीं हैं। भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति के मुद्दे पर हम एक साथ हैं, चिन्ता नहीं करिए, हम उस पर अलग नहीं हैं। मानवीय सभ्यता पर हम एक साथ हैं।

हम सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहेंगे। गंगा से पहले हिमालय की सुरक्षा के सवाल को लेकर मंत्रालय की परिकल्पना क्यों नहीं की गई जब गंगा हिमालय की गोद से ही निकलती है? क्या कभी ऋषिकेष में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने स्नान किया है? वहाँ का पानी कितना सड़ चुका है और सड़े हुए पानी में पूरे भारत के लोग जाकर डुबकी लगाते हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ बैठे मंत्री महोदय से कि अविलंब एक मंत्रालय की खोज हो और मंत्रालय बनाया जाए। हिमाचल के एक राजा के पुत्र भी यहाँ बैठे हैं और एक राजा जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, वे भी यहाँ बैठे हैं। इन दोनों में से किसी व्यक्ति को उस मंत्रालय का ज़िम्मा दिया जाए ताकि हिमालय की सुरक्षा पूर्ण और मज़बूत रूप से हो। हम चाहेंगे कि सरकार यदि यह करे और आपको लाए तो बहुत बड़ी बात होगी।

महोदय, मैं एक छोटी सी घटना उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि अंग्रेज़ी राज के दौरान प्रॉबलम थी। इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक केन्द्र कोई समुचित नीतिगत पहल नहीं करता। पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए आधुनिक तकनीक अमल नहीं हो पाती, पर्वतीय क्षेत्र में न तो रेल, न वायु, न सड़क - आज़ादी के 67 साल बाद भी दो-तीन रेलवे यदि हम दार्जिलिंग और कुछ बातों का ज़िक्र नहीं करें, हालांकि सभी बातों का आपने ज़िक्र किया है, तो मैं निशंक जी से जानना चाहूँगा कि पहाड़ों में सौ साल, दो सौ सालों के पौधे लगाए जाते हैं जिनकी आयु 100 साल, 150 साल और 200 साल की होती है। जो चीड़ या देवदार जैसे पेड़ होते हैं, जो अपनी जड़ों से पहाड़ों को पकड़ते हैं जो हिमालय की मज़बूती है, जो हिमालय को ताकत देता है, ऐसे पेड़ों को आप पूँजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों और माफियाओं तथा दलालों के हाथ में गिरवी रखकर, बेचकर, नए 10-20 साल के पौधे लगाने का काम करते हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : सभापति जी, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है।

श्री राजेश रंजन : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मुझे लगता है कि माननीय राजेश रंजन जी मेरे प्रस्ताव को पढ़ते तो उसमें है कि हिमालयी राज्यों के जन, जंगल, ज़मीन और जल, इन चारों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए यह बिल है। उसके संरक्षण के लिए जो नीति बने, उसके लिए यह बिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दो-तीन चीज़ें जो आपने आपत्तिजनक कही हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को लेकर हम उधर करने वाले हैं..।

श्री राजेश रंजन : नहीं नहीं, आप नहीं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : फिर आप इस बिल पर बोलिये। यह बिल सिर्फ हिमालयी क्षेत्र के जन, जंगल, ज़मीन और जो सारा क्षेत्र है, उसके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वह चाहे वहाँ का आयुर्वेद है, चाहे वहाँ के जंगल हैं, सब चीज़ें, सब संपत्ति पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। इसलिए हम इस बिल को लाए कि इस पर एक नीति बने और नीति बनकर यह व्यवस्थित हो।

श्री राजेश रंजन : मान्यवर, मैं आपके ही मुद्दों पर आ रहा हूँ।

माननीय सभापति : निशंक जी आपकी भावनाओं को विस्तार से बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन : पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बंग्लादेश...।...(व्यवधान) मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहा ह। जिस तरीके की नीति है और आज तक जो घटनाएं घटीं हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा था। चूंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाया है, इसलिए मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाया कि आप इस बात को जानते हैं कि किस तरह दलाल वहां पर बिचौलिए और माफिया काम कर रहे हैं। आप वहां पर बिजली परियोजनाओं को ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, सिनेमा की चीज़ें चूंकि वह एक पर्यटन स्थल है, बड़े-बड़े अस्पताल, योग, साधना पद्धति इत्यादि को हिमालय में लाकर उसे विकसित नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ़ बिजली को लाकर ही हम उस इलाके की आर्थिक समृद्धि को विकसित कर सकते हैं? जबकि आप जानते हैं कि यह किस तरह की घटना या दुर्घटना को जन्म देती है। इन बिजली परियोजनाओं को लेकर वहां किस तरीके की दुर्घटना होने वाली है, यह किसी से छिपी नहीं है। देश के जो बड़े-बड़े पूंजीपति है, जिनके बारे में यहां कहा जाता है कि उनका नाम नहीं लेना है, अगर उनका नाम ले लिया तो आपत्ति होगी। उनके लिए देश और दुनिया में घूमा जा रहा है और ऐसे पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए ताकत दी जा रही है। ऐसे पूंजीपतियों को वहां लाया जा रहा है। आपने पहले भी ऐसे पूंजीपतियों को वहां लाकर पूरे के पूरे हिमालय और पहाड़ों की संस्कृति और वहां की पूरी जीवन-पद्धति का नाश किया है। क्या सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसके तहत वहां का जीवन बचे, वहां की प्रकृति नष्ट न हो, वहां का पर्यावरण दूषित न हो और वहां का आम जीवन इससे प्रभावित न हो? यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

दूसरी बात यह है कि बिहार का जो मेरा इलाका है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल से लगा हुआ कुछ पोर्शन है, वहां हर साल इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी की नदी कोसी नदी की बाढ़ के कारण वहां का सम्पूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। मैं इसी संबंध में जानना चाहता हूं कि जब आप इसका कोई मंत्रालय बनाएंगे तो क्या आप उन क्षेत्रों को उसमें किसी काउंसिल में लेंगे? यदि आप हमारे उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि के इलाके को किसी काउंसिल के तहत लेंगे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। उस इलाके में आज डेवलपमेंट की बहुत कमी है। यह सब जानते हैं। राम कृपाल जी यहां बैठे हैं और वे उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। यदि आज हम उत्तर बिहार के उस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस इलाके के जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उस इलाके को मछली, धान, पान, मकान - इन चार चीज़ों की वज़ह से जाना गया है। ये चार चीज़ उस इलाके के आम आदमी को समृद्ध करेगा और उसे ताकत देगा। क्या इस पर आपकी कोई योजना है?

माननीय सभापति : राजेश जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर(हमीरपुर) : इसमें हिमालय कहां है?

श्री राजेश रंजन : इसमें हिमालय है, तभी तो मैं कह रहा हूं। मित्र, आप हिमाचल, हिम का आंचल यानी देवभूमि के बाशिंदे हैं, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूंगा कि विश्व के इतिहास में हिमालय पहाड़ का सबसे बड़ा योगदान है। सेना से ज्यादा यदि पूरे भारतीय लोकतंत्र की परंपरा, संस्कृति आदि की सुरक्षा होती है, तो उसके लिए हिमालय हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत ताकत और स्तंभ है। हम हिमालय की प्रकृति को नष्ट न होने दें। हम हिमालय को किस तरह मजबूत करें और हिमालय के बीच में जो प्रदेश हैं, उसके इलाके में बंग्लादेश, हिमाचल या जितने भी प्रदेश हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनके डेवेलपमेंट के लिए वर्तमान में जो चुनौती है और जो भूत एवं भविष्य की कल्पना है, भूत में जो हुआ, भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार एक ठोस मंत्रालय के साथ, हमारी संस्कृति, तहज़ीब, प्रकृति और परमात्मा की मिली हुई जो ताकत है, वह नष्ट न

हो।...(व्यवधान) इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मेरे मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस बात को कहा है,...(व्यवधान) मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजना की नीति बनाई। मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां 18 से 20 विश्वविद्यालय हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का समय मिलेगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति: राजेश जी, आप बैठ जाइए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): राजेश जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर वह भी बोल देंगे तो फिर बचा क्या है। अभी आप बहुत कुछ बोले हैं, इसके बाद वह भी आप कह देंगे तो मैं समझता हूं कि संसदीय कुछ परम्पराय है, हम लोग उसका उल्लेख नहीं करते, जिसका आपने उल्लेख किया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा उठाए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। इन्होंने केवल उत्तराखंड की बात नहीं की है, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। पिछले सत्र में भी आपने उस समय एक मंत्रालय की मांग की थी। उस समय भी आपने अवसर दिया था, उस डिबेट में निशंक जी, हम सब लोगों ने और आपने भी उसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विषय था। आज उनका तात्पर्य केवल यह है, मैं समझता हूं कि एक मंत्रालय के गठन में निश्चित तौर से बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें समय लग सकता है, उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। निशंक जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, हम यह चाहते थे कि कम से कम तब तक हिमालय के लिए, सारे हिमालयी क्षेत्र के आने वाले उस इलाके के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए, जिनके लिए माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है कि कम से कम उस तरीके का एक हिल काउंसिल या विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए।

यह केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, आज इस हिमालयी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, इसमें 11 राज्य आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, अरूणाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आज 11 राज्यों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। केदारनाथ की त्रासदी हुई, उस त्रासदी से न केवल हम मरमाहत हुए, न केवल देश के लोंग, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने यह देखा कि केदारनाथ में इसके कौन से कारण हैं। आज यह सवाल नहीं कि हम इस पर उन कारणों के संबंध में कोई आरोप-प्रत्यारोप या कोई राजनीतिक बात करें, लेकिन निश्चित तौर से वह एक ऐसी त्रासदी है, जिसकी टीस आज भी है। शायद आज भी जो दीवारों पर इबादत लिखी गई है, आज भी उस दर्द का मर्म नहीं जा रहा है। उस घटना को अभी हम भूल भी नहीं पाए थे। उस घटना के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड के बाद जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी, वह शायद अकल्पनीय थी। श्रीनगर, जो जम्मू-कश्मीर की राजधानी है, उसमें लोग अचानक अपने घरों में कैद हो जाएंगे, सचिवालय बंद हो जाएगा, राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। इसके लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक इनीशिएटिव लिया, नहीं तो ऐसा लगता था कि जम्मू-कश्मीर के साथ बाढ़ में जो त्रासदी हुयी और जिस तरीके से प्रकृति ने खिलवाड़ करना शुरू किया था, हजारों जन-धन की हानि हो जाएगी। वहां हमारी आर्मी के लोग गए। हमारे बहादुर सैनिक और जिस तरीके से केंद्र का प्रबंधन हुआ, अधिकारियों की एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बैठायी गयी, मिनिस्टर भेजे गए, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से उस प्रबंधन की आज पूरे जम्मू-कश्मीर के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की जनता प्रशंसा कर रही है। जिनके मन में यह धारणा पिछले वर्षों में थी कि जम्मू-कश्मीर के साथ एक अलग भेदभाव होता है, जिससे लोगों के मन में कहीं न कहीं एक अलगाववाद की भावना भी पैदा हो रही थी। इसमें कहीं न कहीं सीमा पार के लोग भी एक्सप्लॉयट करने में भी कामयाब हो रहे थे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर से श्रीनगर की, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ की त्रासदी में केंद्र सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। आज इसका नतीजा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल में भारत के प्रति प्रेम है और उसका भारत के साथ एक अटूट रिश्ता जुड़ा है।

अगर हम इस विषय को देखें तो इसके सापेक्ष आप यह देखेंगे कि इसके पहले केदारनाथ की त्रासदी हुयी, फिर जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी। कल अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, मैंने जिन 11 राज्यों का उल्लेख किया, अगर उनमें से किसी में यह घटना फिर घटित होती है तो हम कब तक इस त्रासदी को देखते रहेंगे? यह कोई छोटा एरिया नहीं है। इन 11 राज्यों का क्षेत्रफल 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर में रहता है, वहां कहीं घनघोर जंगल हैं, कहीं गगनचुंबी पहाड़ियां हैं, कहीं ताल हैं, कहीं नदियां हैं। इस तरीके से कितनी कठिन जिंदगी हिमालय में रहने वाले की है, आप सब इसे जानते हैं। हम सब लोगों को इसका मौका मिला है, चाहे अरूणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू-कश्मीर हो, उन सब इलाकों में हमने देखा है, ट्रैकिंग किया है। मैं खुद मनाली में एनसीसी के ट्रैकिंग कैंप में रहा हूं, उस ट्रैकिंग में मैंने माउंटेनिंग भी किया है। यहां से बैठकर हम उन क्षेत्रों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुराग भाई उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन राज्यों की जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना से देखें तो लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। 7.5 करोड़ की आबादी में आज तीन-चार चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं।

केवल भारत ही ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित नहीं है, पूरी दुनिया कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इकोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। आज वे परिणाम निश्चित ही कहीं न कहीं लोगों के मानव जीवन के लिए आत्मघाती हो रहे हैं। आज वहाँ इस तरीके की स्थिति है। वहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वनों का अवैध कटान हो रहा है। इस बात की चिन्ता आप स्वयं बीसियों वर्ष तक विधान सभा में करते थे और हम भी करते थे। उन वनों के कटान से या जितना आच्छादित होना चाहिए, क्योंकि अगर 33 परसेंट भू-भाग पर वन होगा, तभी हम पर्यावरण का सन्तुलन बिठा पायेंगे। जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं तो अब वक्त आ गया है कि हम आज वहाँ पर विकास का सवाल हो, जिस तरीके से वन अधिनियम 1980 आ गया है, उसके कारण वहाँ निर्माण कार्यों में बहुत कठिनाई आ रही है। सड़क हो, चाहे सूखी लकड़ियों की बात हो, वहाँ के लोग उन्हें नहीं उठा सकते हैं। आप देखते हैं कि जितने हमारे नेशनल फॉरेस्ट हैं, राजा जी पार्क हो, जो वहाँ पुराने लोग थे, थारू, बुक्सा या पहाड़ी जातियाँ, जनजातियाँ थीं, उनके जो अधिकार थे, आज वे अधिकार भी उनके पास नहीं रह गये हैं।

आज स्थिति यह है कि एक गाँव में अगर कोई छोटी सी पेयजल योजना बनानी हो, गाँव का रास्ता बनाना हो तो वह भी सवाल इसलिए कि जो हमारा वन अधिनियम, 1980 है, उसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। आज वहां क्या स्थिति हो रही है, आज उन राज्यों में पलायन हो रहा है। उन राज्यों का नौजवान वहाँ से निकल रहा है। आप यकीन कर लीजिए कि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहां तक कि चाहे नेपाल हो, आज सब मनीऑर्डर इकोनॉमी से चल रहे हैं।

माननीय सभापति : चूंकि दूसरा भी एक विषय आना है, आप भी इससे सहमत होंगे। दस मिनट का समय रखा था, वे पूरे होने वाले हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

17.00 hrs.

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आज हिमालय के विकास की बात कही गई है, जिसकी पीड़ा माननीय निशंक जी ने व्यक्त की है, उसका हर तरह से महत्व है, उसका सामाजिक और सामरिक दृष्टि से महत्व है। आज चाइना का जिस तरीके से लगातार इनकर्शन हो रहा है, चाइना का 350 किलोमीटर एरिया केवल उत्तराखंड से मिलता है। अगर हमारे पूरे बॉर्डर्स को देख लिया जाए तो ये म्यांमार, नेपाल और चाइना के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं। एक तरफ, इन राज्यों के सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, निश्चित तौर से सामरिक दृष्टिकोण से, हमारे लिए वे भी महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में चारों धाम की यात्रा की जाती है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में केवल वहां के लोगों का जीवन महदूद है, वह पूरे देश के लोगों की आस्था और विश्वास का केन्द्र है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, वहां पर चारों धाम की यात्रा हो। जब हम पर्यटन की बात कह रहे हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे और उन्होंने वहां की संविधान सभा में कहा है कि हम लोगों को साथ-साथ मिलकर बढ़ना है, सामंजस्य के साथ काम करना है। उन्होंने सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की बात की है, नेपाल के साथ भारत की आवागमन की बात की है। पर्यटन के क्षेत्र पर, मैं बहुत ज्यादा रौशनी नहीं डालने जा रहा हूं, लेकिन अब पर्यटन की ही संभावनाएं, इस देश की इकोनॉमी के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है और यह पूरे हिमालय रेंज के लिए है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय ले कर आए हैं। अगर इसके लिए आप हमें और समय देंगे तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं, इसे आप समझते हैं। वह देवभूमि है और स्वर्ग के समान है। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करे।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : सभापति महोदय, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस सदन में केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक - 2014 प्रस्तुत किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मंत्रालय की स्थापना की है और गंगा मां को स्वच्छ बनाने के लिए यह कदम उठाया है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रसन्न हुआ है। जिस गंगा मइया की प्रेरणा ले कर, जिसका आर्शिवाद ले कर, हम सब कहीं जाया करते थे, आज इसके लिए मंत्रालय की स्थापना हुई है। डा. पोखरियाल जी ने इसीतरह हिमालयी क्षेत्रों की विकास के लिए अलग मत्रायल या केन्द्रीय हिमालयी राज्य परिषद की स्थापना के महत्व को आज सदन में रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। "मंडी' संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, तीन जनजातीय क्षेत्र आते हैं। इन पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश राज्य की जो स्थिति है, जिन कठिनाइयों का सामन हिमाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। हम विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। आज हम उन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो वहां बहुत-से पर्यटन स्थल विकसित हो सकते हैं। हम "काजा' जांए तो ऐसा महसूस होता है कि हम चंद्रमा पर आ गए हैं। वहां की झीलें, झरनें और सौंदर्य प्रेरणा स्त्रोत हैं। प्रलय के बाद मनु की नाव मनाली जाकर रुकी थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो घटोत्कच ने युद्ध का नक्शा बदल दिया था, उनके हिडिंबा माता का मंदिर इस हिमाचल की भूमि में विकसित हुई है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से डाक्टर साहब ने इस प्रस्ताव को रखा है, इसको पारित करने में सबका सहयोग मिले। जब हिमालय, गंगा, राम, कृष्ण, हिंदी और हिन्दुस्तान की बात आती है तो सब नजरें बचाने लगते हैं। अगर आज हम वियतनाम की बात करें तो यह अमरीका से 17-18 साल युद्ध लड़ता रहा। जब उससे पूछा गया कि आप कैसे युद्ध लड़ते रहे तो उसने कहा कि मैं महाराणा प्रताप की युद्ध नीति को पढ़कर, 17 वर्षों तक लड़ता रहा। हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हम चाहेंगे कि गंगा, हिमालय की रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आदरणीय डाक्टर साहब ने रखा है, उसे पारित करने की कृपा करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 हमारे सहयोगी और पूर्व में उत्तराखंड के मुख्य मंत्री रहे डा. रमेश पोखरियाल जी द्वारा इस सदन में लाया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए आप सबके सामने यहां खड़ा हूं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हिमालय की बात आती है तब मुझे लगता है कि सदन का हर व्यक्ति इस विषय के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, हर किसी के मन में हिमालय राज्यों के प्रति कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कार्नर रहता है। पिछले सत्र में भी जब इसी से मिलते-जुलते विषय पर चर्चा हुई तब भी बड़ी तादाद में यहां के सदस्यों ने अपना समर्थन उस बिल को दिया। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो सबको देव भूमि के साथ, हिमालय राज्यों के साथ लाकर खड़ा करता है। अगर आप दिल्ली में रहें, हरियाणा में रहें, पंजाब में रहें या हिन्दुस्तान के किसी बड़े क्षेत्र में आपका रहना हो, जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर को, मन को स्वास्थ्य की दृष्टि से, दिल की दृष्टि से आराम चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आपने वापिस आकर पूरी ताकत के साथ काम करना है, अगर आपने ब्रेक भी लेनी होती है तो छुट्टियां बिताने के लिए आप हिमालय की ओर देखते हैं। लेकिन जब हिमालय राज्यों की ओर जाते हैं तो सबसे बड़ी चिन्ता का विषय क्या है। वहां का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। वहां एक छोटी सी सड़क भी बननी हो तो फॉरैस्ट क्लीयरैंस लेने में दिक्कतें आती हैं। जिस जमीन पर एक पौधा तक नहीं, वह लैंड भी फॉरैस्ट के अंतर्गत आती है और उसके केस की क्लीयरैंस के लिए भी केन्द्र सरकार तक आना पड़ता है। वहां के नौजवान गरीब घरों में पैदा होने के बावजूद अच्छी शिक्षा लेने के लिए तड़पते हैं। वे 15-15 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते हैं। पांच साल, दस साल का बच्चा इस उम्मीद के साथ पढ़ता है कि कभी न कभी वह जिंदगी में अच्छा करेगा और भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा। लेकिन जब रोजगार लेने की बारी आती है तो उसे दिल्ली और बड़े-बड़े राज्यों की ओर देखना पड़ता है। न आधारभूत ढांचा है, न अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं, न रोजगार है। आखिरकार वहां राज्यों में है क्या? वहां के लोग अपना जीवन किन परिस्थितियों में जीते हैं, यह शायद मेरे, निशंक जी और रामस्वरूप जी जैसे बाकी लोग जानते होंगे। पर्यटक के तौर पर चंद महीनों में आकर चले जाना, चंद दिन बिताने से आपको शायद निचले स्तर की समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा। हां, यह जरूर है कि जब कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, हर समाचार पत्र के पहले पन्ने पर वह खबर छपती है।

जब पार्लियामैंट के सदन के अंदर हिमालय राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका मंत्रालय बनाने की बात होती है, उनको सुविधाएं देने की बात होती है तो किसी समाचार-पत्र में दो लाइनें तक देखने को नहीं मिलतीं। आपदा के बाद तो देश खड़ा होता है, लेकिन आपदा आने से पहले कोई चिंता और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या हम हर बार चर्चा करके यहीं पर छोड़ देंगे? क्या प्राइवेट मैम्बर बिल का मतलब है कि यहां पर आइये, चर्चा कीजिए और अंत में आकर मैम्बर उसे विदड्रा कर लेगा? आखिरकार उस बिल में कोई तथ्य है, ताकत है तो मुझे लगता है कि सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तराखंड में दो वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा आयी या इस वर्ष कश्मीर में आयी, वे दोनों बहुत दुखद घटनाएं थीं। उसमें सैंकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवायी हैं। हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन जब परिवार ही नहीं रहे तब उस पैसे का क्या करना? जब घर नहीं रहे, सड़कें नहीं रहीं और वहां जाने की

ताकत नहीं रही तो उन सड़कों को बनाकर क्या करना? आखिरकार जब हम सस्टैनेबल डेवलपमैंट की बात करते हैं तो समाज के सभी व्यक्तियों को उसके साथ जुड़ना होगा और समय से पहले उस पर विचार करना होगा। आखिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के पास किस बात की कमी है? हम चाहें तो अपने बलबूते पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को केवल टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, गुजरात और चेन्नई से किसी को हिमाचल प्रदेश होना हो, तो उसके लिए दिल्ली की फ्लाइट तो है, लेकिन धर्मशाला की फ्लाइट लेने के लिए 18 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कुल्लू की हफ्ते में दो दिन की फ्लाइट है। शिमला के लिए फ्लाइट ही नहीं है। आप वहां कैसे जायेंगे और कहां से देखेंगे? जब जाना हो तो 12 घंटे तक अपनी पीठ तुड़वा कर आप किसी कोने तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति आराम करने जाता है, वह उलटा और थकावट महसूस करके आता है। वहां उद्योग लग सकते हैं। वाजपेयी जी की कृपा दृष्टि रही तो उन्होंने यह नहीं देखा कि जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांफ्रेंस की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर वर्ष 2002 में तीनों राज्यों को अगर इंडस्ट्रियल पैकेज किसी ने दिया तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। लाखों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कहीं न कहीं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगने से वहां पर उद्योग लग पाये। लेकिन आज भी वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हैं। जब लोग वहां पर बेरोजगार होंगे तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। पहाड़ों से लोग चलकर यहां पर आयेंगे और अपने घर-परिवार पीछे छोड़ेंगे। आखिर ग्रोथ सैंट्रलाइज क्यों है? आकर्षण का केन्द्र बड़े शहरों की ओर है, क्योंकि यहां पर आधारभूत ढांचा है। पढ़े-लिखे लोगों की कमी वहां पर भी नहीं है। जमीन की कमी वहां पर भी नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी की बात आती है तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है कि ऐसी जगह पर लगाओ, जहां पर मार्केट नजदीक हो। लेकिन ये समस्याएं सदा बनी रहेंगी। जब तक हम इनकी ओर नजर नहीं दौड़ायेंगे, हम पर्वतीय राज्यों के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक यह दिक्कत आती रहेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हिन्दुस्तान की रक्षा की बात आती है तो मेरे मित्र ने अभी कहा कि हिमालय बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। हिमालय के साथ-साथ हिमालय के नौजवान भी हिन्दुस्तान की सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हिमालय राज्यों के विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के नौजवान हिन्दुस्तान की रक्षा में अपनी जान नहीं गंवाते। हम देश की रक्षा-सुरक्षा में पीछे नहीं हटते, लेकिन वहां के बाकी नौजवानों के लिए रोजगार की बात आती है, तो पूरे देश की ओर देखना पड़ता है। शिक्षा की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखना पड़ता है। उद्योग लगाने की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखना पड़ता है। आखिर कब तक हम बाकी देश की ओर देखते रहेंगे? कब देश हिमालय की ओर देखेगा? आज हिमालय राज्यों की ओर देखने की आवश्यकता है तभी उनका विकास हो पायेगा। सस्टैनेबल ग्रोथ के लिए एक ऐसे डिपार्टमैंट की जरूरत है, जो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं को देख पाये। यहां पर हमारे समतल इलाकों के जो लोग हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वहां पर तीन गुना ज्यादा कीमत क्यों आती है? कई जगह सड़क नहीं है इसलिए खच्चरों पर सामान ढोकर ले जाना पड़ता, इससे ढुलाई का पैसा ज्यादा लगता है। काम करने वाले कम हैं। सारा रॉ मैटीरियल बाहर से आता है। समस्याएं अपने स्थान पर खड़ी हैं।

सरकार को टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म को अगर हिमालय क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो इन क्षेत्रों पैकेज के लिए लाने चाहिए ताकि यहां का आधारभूत ढांचा अच्छा हो। रूरल टूरिज्म को प्रमोशन देनी चाहिए ताकि लोग गांव में जाकर ठहरें। आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोग सहयोग करें और अच्छे दाम मिल सकें। मेडिसनल प्लांट बहुत बड़ी संपदा है, इसे और बढ़ावा देना चाहिए ताकि अच्छी कीमत मिल सके। यहां वन संपदा बहुत है। दुनिया भर के देश अपने पेड़ों को काटते हैं, नई प्लांटेशन कई गुना ज्यादा करते हैं और उससे कमाते हैं। हमारे यहां पहाड़ी राज्यों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी के अपने घर में पेड़ है तो वह भी नहीं काट पाता है। किसी के घर में कोई मर जाता है तो वह अपने घर का पेड़ काटकर उसे जला नहीं सकता है। यहां इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। अगर हम देश को कुछ देते हैं तो वह है साफ पानी, साफ जलवायु। मुझे लगता है कि वहां के लोग यह आपसे छीन लेंगे तो लोगों का दिल्ली जैसे राज्य में जीना मुश्किल हो जाएगा।

यहां का देश के राज्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। नार्थ-ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना है। उनके लिए ऐसे बहुत प्रावधान है जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। जम्मू-कश्मीर में फ्लाइट लेकर कोई जाना चाहे तो 4000 रुपए में जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किसी ने जाना हो तो उसे 18000-20000 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। इसमें भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। यहां कुछ मंत्री बैठे हैं, मेरा निवेदन है जब कभी कैबिनेट की मीटिंग हो हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए।

आप सबने यहां मेरी बातें सुनीं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 which has been brought here by senior leader Dr. Ramesh Pokhriyal. Earlier, in the previous Session of Parliament, he had asked for a separate Ministry to be formed for the development of Himalayan States and now he urges the Government to create a Central Himalayan States Development Council, till a separate Ministry is formed, for the development of Himalayan States.

Sir, I come from Rajasthan. Water for my State comes from the hill State of Himachal Pradesh. So I look forward for the progress and prosperity of hill States. A large number of our people are very closely associated with the hill States. The purpose of this Bill is basically to uplift the States of Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and other North Eastern States of our country.

There was a cloud burst in Uttarakhand area and before that there was an earthquake. There was a lot of destruction in the State of Uttarakhand. Due to the cloud burst in Uttarakhand, a lot of pilgrims going to Kedarnath had to face difficulties and many people were stranded in the hilly terrains. The infrastructure in the State was completely damaged. So, to improve infrastructure and other basic facilities of the State, Dr. Ramesh Pokhriyal has brought this Bill.

I would like to focus on a few important issues here. These hill States do provide our country with the Army and the para-military forces. They provide us an opportunity of tourism which has been mentioned by the previous speakers. The most important thing is the cultural tourism which people undertake especially in States like Uttarakhand and other hill States of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. We need to look into that. They are also located strategically vis-Ã -vis our neighbours. So need to have a special focus on that.

Education in this area has to be uplifted. We need to look at the future growth of this area which we are asking for through our GDP growth. We must uplift these areas with the new Skill Development Ministry which has been formed. We need to look at the industries which were helped by

the then Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee *sahib* through a special package.

The State of Jammu and Kashmir has experienced flooding which has totally devastated the region. A special package to this region will certainly help us. Railways in these regions are dismal. I would just like to focus on Uttarakhand which has only 345 kilometres of railways and 90 per cent of the area is hilly. The same condition happens to be in Himachal and other parts of the region. There is shortage of medical facilities and staff. We need to look at improving the air connectivity to these regions. We can improve transportation vis-Ã -vis health, vis-Ã -vis tourism and help people to travel to different parts of the region. The basic function of this is to help industrial growth, to promote the remote areas by connecting them by roads and rails, to help telecommunication which is not there, to provide electricity, drinking water and housing which are not there, to provide health services, to provide educational facilities and employment and to lessen suffering of people coming in from the hill States to major towns so that they get employment there.

HON. CHAIRPERSON : Dushyant *ji*, please conclude now.

SHRI DUSHYANT SINGH : Sir, I am just concluding. The North East Council was set up in 1971 which consists of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. In 2002, Sikkim was added. They have a vision : the 2020 plan. The other States also want to be a
part of that vision. By this we can make India and the hill States more stronger. We also need to look at organic farming. My State, Rajasthan also has hilly areas of high repute like Abu and Aravallis. We need to focus on that. So I would urge the Ministry to give a special package to our region.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, जिस राज्य से मैं चुनकर आया हूँ, उस पंजाब राज्य की सरहदें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से लगती हैं। पंजाब का पानी हिमाचल प्रदेश से आता है। पंजाब की नदियाँ सतलुज, व्यास सब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री अनुराग जी ने कहा। लेकिन जो टूरिज्म के प्रयास किया जाना चाहिए था, वह अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लंदन में हर साल दो करोड़ टूरिस्ट जाते हैं। न्यूयार्क में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट और पूरे भारत में एक साल में सिर्फ 20 लाख टूरिस्ट आते हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे वह कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, क्योंकि हिमालय के राज्यों में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारा साहब हैं, लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उनके लिए सड़कें और वहाँ पर रहने का अच्छा प्रबंध हो जाए तो इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। इस बात से मैं सहमत हूँ कि पहाड़ी युवकों में बहुत टैलेंट है, चाहे वे किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हों, लेकिन उनको इधर-उधर माइग्रेट होना पड़ता है।

मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां चार राज्यों के मरीज आते हैं और डाक्टरों पर बहुत बोझ रहता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ है, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक हिमालय का जो क्षेत्र है, उसमें हॉस्पिटल्स का प्रबंध होना चाहिए। स्पोर्ट्स में पहाड़ के युवक बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे धर्मशाला में एक स्टेडियम बन गया और धर्मशाला पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गयी। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर सिटीज हैं। ऐसा प्रावधान किया जाए कि हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स और शूटिंग रेंज इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ताकि पहाड़ के युवक ओलम्पिक, एशियाड और नेशनल स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे सकें। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर और केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें हमें अपनी मानवीय गलती माननी चाहिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। पास्ट को भगवान भी नहीं बदल सकते, पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए जाएं ताकि इन राज्यों के लोग गर्व से कह सकें कि भारतीय हैं, जिससे देश की सुरक्षा में पहाड़ और पहाड़ के युवक जो योगदान दे रहे हैं, उनको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो।

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : सभापति महोदय, आज पिछले डेढ़ घण्टे से श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा लाए गए बिल पर चर्चा हो रही है। सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल बिल, 2014 पर चर्चा हो रही है। मैं पोखरियाल साहब को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि इस बिल को बनाने में इन्होंने जो मेहनत की है, वह साफ नजर आती है। उसके पश्चात् जिस तरह से इस बात की वकालत उन्होंने सदन में की है, वह भी काबिले-तारीफ है। वह अनुभवी हैं, सारी चीजें समझते हैं और सभी चीजों का निचोड़ इस बिल में रख दिया है। इस बिल को लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं इनके विचारों से सहमत हूं। इनके ही नहीं, अन्य जितने माननीय सदस्यों ने बोला है, अनेक दलों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के माननीय सदस्य ने बोला है, मैदानी इलाकों के सदस्यों ने बोला है और सभी ने तकरीबन सहमति जताई है कि हिमालयन रीजन, खासकर सेंट्रल हिमालयन रीजन की तरक्की हर सूरत में होनी चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब ने असम और बंगाल हिल एरियाज की भी चर्चा की, लेकिन यह बिल केवल सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स का है और एक मंत्रालय आलरेडी मौजूद है जो नॉर्थ-इस्टर्न स्टेट्स के बारे में वर्ष 1972 में काउंसिल बनाया गया था। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। आज की चर्चा में तीन प्रांत हैं, वे उस डेवलपमेंट काउंसिल से वंचित हैं, मैं समझता हूं कि इसीलिए यह बिल लाया गया है। जिन सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, सरकार उनके विचारों से सहमत है।

आज से ही नहीं पिछले कई दशकों से, चाहे कोई सरकार रही हो, उन्होंने यह महसूस किया है कि जब तक हिमालयन रीज़न को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो न कभी पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकती थी और न कभी आगे भी बनने की सोच रख सकती है। चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो या मैडीसन की दृष्टि से हो, चाहे वहां के लोगों की वजह से हो, चाहे वहां की बायो-डायवर्सिटी की वजह से हो, तो ये सारी चीजें सरकार के विचाराधीन हैं। मैं माननीय निशंक जी को कहना चाहता हूं कि National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE) ये पहले से ही सरकार की तरफ से प्रस्तावित है और लागू है और इसके अंदर 550 करोड़ रुपया 12वें प्लान के अंदर खर्च करना नियमित किया गया है। National Action Plan for Climate Change के अधीन इस योजना पर बड़े जोरों से सरकार उस पर लगी हुई है। इसके अंदर चाहे ग्लेशियर्स की चर्चा हुई हो, चाहे प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हुई हो, या वहां की बायो-डायवर्सिटी हो, फोना-फ्लोरा हो, या वहां की वाइल्ड लाइफ हो, या वहां की ट्रैडिशनल नॉलिज सोसाइटीज हों और किस तरह से वे अपना जीवन-बसर करते हैं, इन चीजों के ऊपर इस नेशनल मिशन के माध्यम से न केवल प्रकाश डाला जाएगा, बल्कि इनसे कुछ सीखकर आगे के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। माननीय पोखरियाल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इस चीज पर कार्यरत है।

जब हमारी सरकार आई तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी कटरा गये और वहां पर एक रेल गाड़ी को हरी झंडी देने के लिए जब वे पहुंचे थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि,

"The Government will work on a model for the common development of the Himalayan ecosystem from Jammu and Kashmir up to North-East."

So, he is also aware कि हमारे को इस चीज पर कुछ न कुछ विचार करके दिखाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि नेशनल डिवेलपमेंट कौंसिल है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री जी हैं और सभी चीफ-मिनिस्टर्स इसके मैम्बर्स हैं। इस कौंसिल के माध्यम से ये तीन प्रांत पहले से ही स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा 8 प्रांत और भी हैं जो स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंदर आते हैं। जो नार्थ-ईस्ट के इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जिनकी अलग-अलग वजह से स्पेशल कैटेगराइजेशन हो चुकी है। उसके अंदर वो प्रांत भी हैं जो शायद हिल्स स्टेट्स के अलावा मैदानी क्षेत्र के भी एरिया रखते हैं। जिसके अंदर असम है। ये जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने जाते हैं, एनडीसी के माध्यम से इन्हें ये कैटेगराइजेशन मिली है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से जो नार्मल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स होता है, तो पहले से ही इन 11 प्रांतों को 56 फीसदी नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस का दिया जाता है। बाकी के 18 प्रांत जो हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं मिला है, उन्हें नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस से केवल 44 फीसदी असिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से मिलता है। इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से स्पेशल प्लान असिस्टेंस है जो प्रौजैक्ट्स के वास्ते दिया जाता है। उसके अंदर स्पेशल प्लान असिस्टेंस केन्द्र देता है, उसमें 90 परसेंट असिस्टेंस ग्रांट के रूप में दिया जाता है और केवल दस फीसदी लोन के रूप में दिया जाता है, जो इन प्रांतों को केन्द्र को वापिस देना होता है। अगर इसकी तुलना उन प्रांतों से करें जो स्पेशलाइज्ड कैटेगिरी में नहीं आते हैं तो उनको जितना भी असिस्टेंस दिया जाता है, वह बैक टू बैक लोन के तौर पर दिया जाता है, जो कि उन 18 प्रांतों को वापस केन्द्र सरकार को करना होता है। ब्लॉक ग्रांट्स जो कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। यह प्लानिंग मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। ब्लॉक ग्रांट्स का सौ फीसदी इन्हीं क्षेत्रों को जाता है और यह पैसा वापस नहीं लिया जाता है।

इसी के साथ-साथ बॉर्डर एरियाज़ से लगने वाले प्रांत, जिनमें जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश इत्यादि तक के लिए बॉर्डर एरियाज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन तीन प्रांतों का आज जिक्र किया गया है, उन तक ही अपने आपको सीमित रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम होम मिनिस्ट्री से मॉनीटर होता है। वर्ष 2014 में इस प्रोग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर को 9111 लाख रुपये इस साल में रिलीज़ किया गया है और इन्हें 12 हजार 800 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए 3565 लाख रुपये एलोकेट किए गए हैं और 2821.84 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए 21 सौ करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं और अभी तक 782 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है और इस बात के प्रयास कर रही है, साथ ही साथ मेरे साथीजन यहां जो चर्चा कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि सरकार पर दबाव पड़ता है कि एक स्पेशल पैकेज या मिनिस्ट्री के बारे में सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब तक यह नहीं होता है, तब तक जितना भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयास हो सकता है, वह करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी और भारत का हर नागरिक यह कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बरखिलाफ मुल्कों के बीच यह जो नैचुरल वॉल है, उसमें जो भी बाशिंदा या जीव-जन्तु या पेड़-पौधे हैं, वे सभी आज के बाद से नष्ट नहीं होने चाहिए, इस तरह का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से चल रहा है और इस पर सक्रिय चर्चा हो रही है। हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि यहां जो चर्चा हुई है, उस पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा करें। वकील के तौर पर हमारा महकमा आपकी बात को आगे पेश करेगा, यही मैं आप से कह सकता हूं। राजेश रंजन साहब ने बिल से बाहर बिहार की चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो डिजास्टर्स हुए हैं, वह मैन मेड हैं या प्राकृतिक हैं। इस पर चर्चा हो सकती है।

महोदय, जगदम्बिका पाल साहब, रामस्वरूप शर्मा जी, दुष्यंत सिंह जी और भगवंत मान साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर जो अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने इसको प्रिज़र्व और प्रोपगेट करने के लिए जो दिल की भावना थी, जो पीड़ा थी, वह नज़र आ रही थी। उससे यह सरकार अवगत है।

मैं पोखरियाल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिल को आज वे विदड्रॉ करें। सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति पूर्वक इस विषय पर पहले से ही गौर किया जा रहा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर मोहम्मद सलीम साहब, राजेश रंजन जी, जगदम्बिका पाल जी, रामस्वरूप शर्मा जी, अनुराग ठाकुर जी, दुष्यंत जी और हमारे भगवंत सिंह मान जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मुझे लगता है कि यदि वक्त होता तो इस पर बहुत सारे सांसदगण इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते।

माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकर किया कि हां, इसकी जरूरत है और यह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सभी लोगों की भावनाओं का बहुत सम्मान भी किया और यह भी कहा कि निकट भविष्य मे जब तक नहीं होता, हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूं कि इस हिमालय बैल्ट का एक अलग मंत्रालय गठित होगा जो देश के लिए ताकत बनेगा। यदि हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया, यदि हमने जम्मू-कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय का एक विभाग गठित किया लेकिन इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को हमने छोड़ दिया तो आखिर इन दो राज्यों ने वह कौन सा अपराध किया था क्योंकि इन दो राज्यों में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है। दूसरी पंक्ति में उसकी मां और बहनें सैनानियों की तरह अनन्य देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। इस बात के एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह बात सही है कि सरकार बहुत सारे अनुदान देती है और यह विशेष राज्य के दर्जे में है। मैं इस बात को बड़े अनुरोध के साथ इस बात को संदर्भित करना चाहता हूं कि चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न हो, आप एक विश्लेषण कर लीजिए कि केन्द्रीय नीतियों के अभाव में जो पैसा आप दे रहे हैं, वह किस स्थान पर खड़ा है? इसी सदन में इस पर चर्चा होती है। वह पैसा कहां जा रहा है? भारत सरकार निष्पक्ष रूप से कर रही है और पैसा दे भी रही है। आपने काउंसिल भी बना दी और तमाम 90 और 10 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान भी दे रहे हैं। लेकिन नीतियों के अभाव में वह पैसा ठीक स्थान पर नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने पिछली बार केवल चर्चा के लिए नहीं, बल्कि हम देश के बारे में विचार करते हैं। हम देश की प्रगति के बारे में विचार करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पूरे हिमालय की जो बैल्ट है, इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का है और चाहे वह जम्म-कश्मीर का है और चाहे यह हिमाचल और उत्तराखंड का है। इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। इसके लिए नीति बननी चाहिए क्योंकि अगर नीति बनेगी तो उसका क्रियान्वयन होगा और ज़मीन पर हमारी मंशा क्रियान्वित हो सकेगी। यह नीति जब यहां से बनेगी तो जो धनराशि इस समय भारत सरकार से जारी हो रही है, इसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विभाग का जरूर गठन किया जाए ताकि देश की प्रगति में, समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। चूंकि उन्होंने आश्वस्त भी किया है, इसलिए मंत्री जी के आश्वासन होने पर कि हमें जल्दी से जल्दी हिमालय का एक अलग मंत्रालय मिलेगा और जब तक नहीं होता तब तक इसी सत्र में कहीं न कहीं काउंसिल की शुरुआत हो जाएगी तो मैं इसी आशा के साथ अपने उस बिल को वापस लेता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं, चर्चा में निशंक जी ने हमारा ध्यान आकर्षण खास तौर पर दो राज्यों की तरफ किया। मगर इन राज्यों के साथ आप एक मंत्रालय का गठन करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन राज्यों के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, जो फुटहिल ऑफ हिमालय है, जैसे आप जानते हैं कि कालका जिले मे, सहारनपुर जिले में आपके साथ सटा हुआ क्षेत्र है, जहां से आप आते हैं। हमारा शिवालिक का क्षेत्र है। मैं समझता हूं जब आप उन क्षेत्रों के लिए कंसैशन करें, मंत्रालय का गठन करें, नीतियां बनायें तो उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखें। ऐसा एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदय, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also to monitor their implementation for the balanced and all-round development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।